

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 642 सन 2021

अनवान :-

1. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र नाजरसिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा तहसील नोहर हाल भागु

वादी

बनाम

1. गुरदीप कौर पत्नी जितेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा तहसील नोहर हाल भागु
2. परमप्रीत सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा तहसील नोहर हाल भागु
3. रवदीप कौर पत्नी रविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा तहसील नोहर हाल भागु
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 08.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 30/30 की कुल 7.0840 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि नाजरसिंह एवं सुरेन्द्रसिंह, रविन्द्रसिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति है।

प्रतिवादीया संख्या 1 व 3 जो प्रतिवादी संख्या 2 की बुआ व माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि उनके नाम से दर्ज नहीं है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से दर्ज के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,3 जो वादी का बुआ/माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वजो के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भतिजे/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल

मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।


हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 30/30 की कुल 7.0840हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुशतरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुशतरका खाते में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ,3 जो वादी की बुआ/माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 30/30 की कुल 7.0840हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुशतरका खाते में दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ,3 का नाम कलमजन किया जाकर सम्पूर्ण खाता में 3/4 हिस्सा भूमि का वादी एवं 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ़)  
साहू  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट.....रामसरा.

# प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र नाजरसिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा तहसील नोहर हाल भागु

वादी

बनाम

1. गुरदीप कौर पत्नी जितेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा तहसील नोहर हाल भागु
2. परमप्रीत सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा तहसील नोहर हाल भागु
3. रवदीप कौर पत्नी रविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रामसरा तहसील नोहर हाल भागु
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 642 सन 2021 निर्णय दिनांक- 08.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 30/30 की कुल 7.0840 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1,3 का नाम कलमजन किया जाकर सम्पूर्ण खाता में 3/4 हिस्सा भूमि का वादी एवं 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

नोहर ( हनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट रामसरा